न्यायालय – सिविल जज, (जू0डि0), बीसलपुर, {पीलीभीत}

मूल वाद संख्या 36/2003

सूरज पाल ––बनाम–– मिही लाल आदि।।

दिनांक 11.10.2018

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। पुकार पर उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित आये। वादी की ओर से प्रार्थना पत्र 202ग इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिपक्षी सूरज पाल के संदर्भ में खण्ड विकास अधिकारी मरौरी, तहसील सदर, जिला पीलीभीत से हय आख्या मंगाई जाये कि क्या प्रार्थना पत्र में दिये गये लोगों के नाम परिवार रजिस्टर ग्राम गजरौला कलॉ विकास खण्ड मरौरी तहसील सदर जिला पीलीभीत में अंकित है।

प्रतिवादी की ओर से आपत्ति दाखिल कर प्रार्थना पत्र खारिज करनें की याचना की गयी है।

सुना व अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त परिवार रजिस्ट को वादी अपनी साक्ष्य में प्रयोग करना चाहता है। वादी को उक्त परिवार रजिस्टर की साक्ष्य के रूप मे प्रस्तुत करनें के लिए आवश्यकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि पक्षकारों को अपनी साक्ष्य स्वयं प्रस्तुत करनी होती है। अतः वादी स्वयं परिवार रजिस्टर की नकल प्राप्त कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है, तद्नुसार प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 202ग खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 22.10.2018 को पेश हो।

सिविल जज, (जू0डि0),
बीसलपुर, पीलीभीत।
11.10.2018